न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
निर्णय घोषित 15/…/2017 मनीष शर्मा AOK	करने पर, अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

मु0नं0 01/2018 तारीख रजू:– 12.06.2018

1 कल्पना वेवा राजसिंह
2 विकाश } पिसरान राजसिंह
3 विष्णु
4 वर्षा } पुत्रीया राजसिंह
5 रितु
6 नेहा
7 बचनसिंह } पिसरान बलवीरसिंह
8 लालसिंह
9 महेश
10 मधु पुत्री बलवीरसिंह
11 गुलबती वेवा बलवीरसिंह

} समसस्त जातियान जाट निवासीयान महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

:– अपीलान्टस

बनाम

1 तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिंटी जिला करौली

2 ग्राम पंचायत महुखास पंचायत समिति हिण्डौन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महूखास तहसील हिण्डौन सिंटी –रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामानतकरण संख्या 278 दिनांक 06.05.2007 ग्राम पंचायत महूखास पंचायत समिति हिण्ड़ौन

उपस्थिति:– 1 श्री मोहन अवस्थी वकील अपीलान्टस

2 पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक:– 15-3-19

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील नामानतकरण संख्या 278 निर्णय दिनांक 06.05.2007 ग्राम पंचायत महूखास से अप्रसन्न होकर पेश कर बताया गया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा नामानतकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट संख्या 7 का नाम बच्चनसिंह के स्थान पर बचनसिंह दर्ज कर दिया गया है। वह गलत हैं बास्तविक नाम अपीलान्ट संख्या 7 का मुताबिक चुनाव पहचान पत्र संख्या आर जे/11/086/063141 तथा आधार कार्ड संख्या 560248181988 एवं परिवार राशन कार्ड संख्या 200001114920 मे भी अपीलान्ट का नाम बचनसिंह है। उक्त नामानतकरण की जानकारी पटवारी हल्का से रिकोर्ड लेने पर दिनांक 14.02.2018 को हुई। ततसमय निमनानुसार नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा मे मय प्रार्थनापत्र दफा 5 शपत पत्र सहित पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामानतकरण संख्या 278 निर्णय दिनांक 05.06.2007 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का नाम शुद्व करने के आदेश फरमाये जावे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्स को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमे पेरोकार सरकार उपस्थित आये। ओर लिखित में अपीलान्ट नं. 7 का नाम शुद्व करने मे कोई आपत्ति नही है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी दोराने बहस अपने अपील मीमो दोराते हुए निवेदन किया है कि नामानतकरण तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत द्वारा नही सुना गया है ना ही कोई रिकोर्ड तलव किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर ही तस्दीक किया है जो कानूनन गलत है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई दोराने बहस ग्राम पंचायत द्वारा जो नामानतकरण तस्दीक किया गया है उसमे अपीलान्ट नं. 7 का नाम रिकार्ड अनुसार सही दर्ज न कर बच्चनसिंह दर्ज कर दिया गया है जो सही नही है। शुद्व कर दिया जाये तो हमे कोई आपत्ति नही है।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं नामानतकरण संख्या 278 दिनांक 05.06.2007 का अबलोकन करने पर पाया गया की पटवारी हल्का महुखास ने ग्राम महुखास में बलवीरसिंह पुत्र साहबसिंह जाति जाट निवासी महुखास फोत हो जाने पर उनके बारीसान का नामानतकरण दर्ज किया गया है जिसमे नामानतकरण पुस्त पर मृतक बलवीरसिंह की जो विरासत सजरा अंकित किया गया है उसमे पुत्रो के तोर पर राजसिंह, बच्चनसिंह, लालसिंह, महेश एवं पुत्री मधु तथा वेवा गुलवती अंकित की गई है। उसी के अनुसार भू- अभिलेख निरिक्षक द्वारा भी तुलना सही होना बताया गया है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा विना सुनवाई अपीलान्ट के ही मात्र नामानतकरण पर स्वीकार शब्द अंकित किया है जबकि बिधि अनुसार पीठासीन अधिकारीयो को नामानतकरण तस्दीक करते समय पक्षकारो को सुनवाई करना आवश्यक है। किन्तु इय प्रकरण में सुनवाई नही करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही आधार मान कर स्वीकार किया गया है जिसके कारण अपीलान्ट संख्या 7 बचनसिंह पुत्र बलवीरसिंह का नाम गलत होकर बच्चनसिंह दर्ज हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र क्रमांक आर जे/11/086/063141 तथा आधार कार्ड संख्या 560248181988 एवं परिवार राशन कार्ड संख्या 200001114920 मे भी बचनसिंह है। इस प्रकार से नामानतकरण मे अपीलान्ट का नाम दर्ज गलत हो गया है जिसे स्वयं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने भी माना जाकर शुद्व करने मे कोई आपत्ति नही की है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामानतकरण संख्या 278 निर्णय दिनांक 05.06.2007 वाके ग्राम महुखास तहसील हिण्डौन मे बच्चनसिंह पुत्र बलवीरसिंह के हद तक अपास्त किया जाता है। ओर बच्चनसिंह पुत्र बलवीरसिंह के स्थान पर बचनसिंह पुत्र बलवीरसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/3/19 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन